F.D.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः—48 / दावा / 2024 दायरा दिनांक :— 07.06.2024

GCMS ID—2024 / 55

बउनवान

1. किशनलाल आ0 जुहारा उर्फ जवारा जाति गुर्जर नि0 सहसपुरिया तह0 हिण्डोली।

वादी

बनाम

1. उदा आ0 देवा जाति गुर्जर निवासी सहसपुरिया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. खाना पिता बिहारी जाति गुर्जर निवासी सहसपुरिया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार सा० हिण्डोली जिला बूंदी।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत :— तकासमा आराजियात, स्थायी निषेधाज्ञा

वकील वादी :— श्री अनिल गुर्जर

वकील प्रतिवादीगण :—एक पक्षीय कार्यवाही

दिनांक :—27 / 02 / 2026

निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खाता संख्या 34 खसरा संख्या 200, 201, 202, 203, 204, 205, 562, कुल किता 7 कुल रकबा 2.4605 हैक्टेयर वाके ग्राम सहसपुरिया पटवार क्षेत्र सहसपुरिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। जमाबंदी वादपत्र के साथ सलग्न है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से खातेदार है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमिया वादी व प्रतिवादीगण के सयुक्त स्वामित्व की है। उक्त भूमियों पर पारिवारिक सहमति से पूर्वजों के समय से ही बंटवारा हो रहा है और हिस्सेनुसार वादी प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से आई भूमियों पर कब्जा काश्त कर रहे है। और चाह से सिंचाई कर रहे है सामलाती रासते का उपयोग उपभोग कर रहे है वर्तमान में भी वादी द्वारा अपने हिस्से की भूमियों पर गेहूँ की फसल बोई है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमिया वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व की है। उक्त भूमियों पर वारिवारिक सहमति से पूर्वजों के समय से ही बंटवारा हो रहा है और हिस्सेनुसार वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से आई भूमियों पर कब्जा काश्त कर रहे है। और चाह से सिंचाई कर रहे है सामलाती रास्तें का उपयोग उपभोग कर रहे है वर्तमान में भी वादी द्वारा अपने हिस्से की भूमियों पर गेहूँ की फसल बोई है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों का

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

पारिवारिक सहमति से बंटवारा हो रहा है और बंटवारे के अनुसार काबिज काश्त है लेकिन उक्त रास्ता भूमियों का विधित कानूनन बंटवारा नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद पैदा होते रहते है सिंचाई व लगान जमा कराने में आना कानी करते है। और एक दूसरे की भूमियों पर अतिक्रमण कर मेडो को नष्ट कर देते है। तथा वादी की भूमि पर जबरन पोल गाड दिये है तारफेंसिंग करने पर आमादा है व वादी के आने जाने के रास्ते पर अतिक्रमण करते है। व सामलाती चाह से भूमियों को सिंचित नहीं करने देते है। वादी द्वारा वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों का बंटवारा कराने पृथक से खाता कायम कराने राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से खाते दर्ज कराने का अनुरोध पृथक से खाता कायम कराने राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से खाते दर्ज कराने का अनुरोध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 से अनुरोध किया तो प्रतिवादीगण लडने झगडने लगे और कहने लगे कि हम बंटवारा नहीं करायेंगे और न ही खाता पृथक करवायेगे। वादी द्वारा अन्तिम बार दिनांक 20.05.2024 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 से प्रतिवादी संख्या 3 के पास तहसील कार्यायल हिण्डोली में चलकर बंटवारा कराने का अनुरोध किया तो प्रतिवादीगण लडने झगडने लगे और कहने लेगे कि हम और बंटवारा नहीं करवायेगे और तुझे भी तेरी जमीन से बेदखल करेगे। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वो वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों का बंटवारा कराये राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से खाता कायम कराये व बंटवारे में प्राप्त भूमियों पर स्वतः कब्जा प्राप्त करे और प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरवावें की वो वादी को बंटवारे में प्राप्त भूमियों पर से बेदखल नहीं करे उसके आने जाने के रास्ते को नष्ट नहीं करे चाह से सिंचाई करने में व्यवधान पैदा नहीं करे तथा वादी की भूमि पर जबरदस्ती पोल गाडकर तौरफेसिंग नहीं करे, ऐसा न तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावे। उक्त विवादित भूमिया वाके ग्राम सहसपुरिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से श्रीमान को उक्त वादपत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। उक्त वाद का बंटवारा होने से भूमिधारी तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज0 को आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी संख्या 3 बनाया गया है। उक्त वाद अन्तर्गत अवधि मय उचित कोर्ट फीस व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिग्री फरमाई जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि का बंटवारा कराये राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से खाता कायम कराये बंटवारे में प्राप्त भूमियों पर स्वतः कब्जा प्राप्त करे और प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

संख्या 1 लगायत 2 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावें की वो वादी को बंटवारे में प्राप्त भूमियों पर से बेदखल नहीं करे उसके आने जाने के रास्ते को नष्ट नहीं करे चाह से सिंचाई करने में व्यवधान पैदा नहीं करे व वादी की भूमि पर जबरदस्ती पोल गाडकर तारफेसिंग नहीं करे, ऐसा न तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावे। अन्य न्योयोचित सहातय जो भी सुलभ हो वादी को प्रदान की जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण का जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 01 लगायत 02 बावजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 03 फोरमल पक्षकार होने से जबाव की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादीगण का जबाव पेश नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई।

वादी ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी खतौनी संख्या 34 सम्वत 2076–2079 वाके ग्राम सहसपुरिया पटवार मण्डल सहसपुरिया तहसील हिण्डोली पेश किये है व साक्ष्य में शपथ पत्र वादी किशनलाल पेश कर बयान दर्ज करवाए गए।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी द्वारा बहस के दौरान वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सहसपुरिया की जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 के खाता संख्या 34 के खसरा संख्या 200, 201, 202, 203, 204, 205, 562 कुल किता 7 कुल रकबा 2.4605 हैक्टेयर, वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी है, जिसमें वादी का 49/90 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। वादग्रस्त आराजी शामलाती खातेदारी की होने से शामलाती आराजी के प्रत्येंक हिस्से पर प्रत्येक सहखातेदार का समान हक व अधिकार निहित होता है। प्रत्येंक सहखातेदार को धारा 53 आर0टी0एक्ट के अधीन शामलाती भूमि का बंटवारा किए जाने का अधिकार है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार बंटवारा किए जाने का निवेदन किया।

दावा दिनांक :– 19.05.2025 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार हिण्डोली को तकासमा रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर तहसीलदार हिण्डोली द्वारा निर्देशानुसार पत्रांक :– राजस्व/25/2492 दिनांक:– 20.08.2025 से पी0डी0 रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई। जिसे शामिल मिसल कराया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत अभिधृतियों (टीनेंसीज) के अनुसार "विभाजन" का अभिप्राय किसी विभाजन किये जाने योग्य भू–सम्पदा का दो या अधिक भागों में इस प्रकार बंटवारा है जिससे प्रत्येक भाग के एक या एक से अधिक टुकडे हो जाये। धारा–53 को प्रभावशील करने के लिए नियम राजस्थान टीनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के अध्याय–4 व नियम 18–21 में वर्णित है।

बहस वादी के अधिवक्ता की सुनी गई। वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वे प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट से सहमत हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादी अधिवक्ता मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट दावा डिक्री किये जाने हेतु सहमत है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः वाद वादी मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट के डिक्री किया जाता है कि निम्नांकित आराजियात निम्नानुसार पक्षकारों के खातेदारी एवं कब्जें काश्त में रहेगी :–

क्र0सं0	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा है0 में
1.	1. किशनलाल पुत्र जुहारा जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार रहन जमाबंदी अनुसार।	203	0.4775
		202/1	0.3650
		205/1	0.4420
		562/1	0.0242
	योग	किता– 4	1.3087
2.	1. उदा पुत्र देवा जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार रहन जमाबंदी अनुसार।	200	0.4371
		201/1	0.2905
		202/2	0.1773
		205/2	0.0056
		562/2	0.0243
	योग	किता– 5	0.9348
3.	1. खाना पुत्र बिहारी जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार	201/2	0.1304
		205/3	0.0056
		562/3	0.0243
	योग	किता– 3	0.1603
4.	1. किशनलाल पुत्र जुहारा हिस्सा 49/90, उदा पुत्र देवा हिस्सा 7/18, खाना पुत्र बिहारी हिस्सा 1/15 जातियान गुर्जर सा0 देह खातेदार रहन जमाबंदी अनुसार बदस्तुर।	204 गै0मु0चाह	0.0567
	योग	किता– 1	0.0567

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से में रहने वाली भूमियॉ प्रस्तावित नक्शें में दर्शाये अनुसार रहेगी। मुताबिक न्यायालय निर्णय के वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से रहने वाली भूमियों का तहसीलदार, हिण्डोली मौकें पर भूमियों में आने जाने हेतु बने हुए रास्ते को सुरक्षित रखते हुए पक्षकारान को कब्जा संभलावे। तद्नुसार रिकॉर्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। नक्शा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के तहत स्टाम्प ड्यूटी वसूल हो। खर्चा फरीकेन अलना–अपना वहन करेगें।

आदेश आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/02/2026

(शिवराज मीणा)
आर0 ए0 एस0
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला– बून्दी (राज.) मुकाम हिण्डोली बइजलास श्री शिवराज मीणा,आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी,हिण्डोली जिला–बून्दी

बउनवान

1. किशनलाल आ0 जुहारा उर्फ जवारा जाति गुर्जर निवासी सहसपुरिया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

वादी

बनाम

1. उदा आ0 देवा जाति गुर्जर निवासी सहसपुरिया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. खाना पिता बिहारी जाति गुर्जर निवासी सहसपुरिया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार सा० हिण्डोली जिला बूंदी।

प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजीयात।

मुकदमा नम्बर :–48 / दावा / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल है. रूबरू श्री शिवराज मीणा, आर.ए.एस.व हाजिरी श्री अनिल गुर्जर एडवोकेट मिजानिब मुदई रूबरू श्री एकतरफा मनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि

वाद वादी मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट के डिक्री किया जाता है कि निम्नांकित आराजियात निम्नानुसार पक्षकारों के खातेदारी एवं कब्जें काश्त में रहेगी :–

क्र0सं0	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा है0 में
1.	1. किशनलाल पुत्र जुहारा जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार रहन जमाबंदी अनुसार।	203 202 / 1 205 / 1 562 / 1	0.4775 0.3650 0.4420 0.0242
	योग	किता– 4	1.3087
2.	1. उदा पुत्र देवा जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार रहन जमाबंदी अनुसार।	200 201 / 1 202 / 2 205 / 2 562 / 2	0.4371 0.2905 0.1773 0.0056 0.0243
	योग	किता– 5	0.9348
3.	1. खाना पुत्र बिहारी जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार	201 / 2 205 / 3 562 / 3	0.1304 0.0056 0.0243

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

	योग	किता– 3	0.1603
4.	1. किशनलाल पुत्र जुहारा हिस्सा 49/90, उदा पुत्र देवा हिस्सा 7/18, खाना पुत्र बिहारी हिस्सा 1/15 जातियान गुर्जर सा0 देह खातेदार रहन जमाबंदी अनुसार बदस्तुर।	204 गै0मु0चाह	0.0567
	योग	किता– 1	0.0567

वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से में रहने वाली भूमियाँ प्रस्तावित नक्शें में दर्शाये अनुसार रहेगी। मुताबिक न्यायालय निर्णय के वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से रहने वाली भूमियों का तहसीलदार, हिण्डोली मौकें पर भूमियों में आने जाने हेतु बने हुए रास्ते को सुरक्षित रखते हुए पक्षकारान को कब्जा संभलावे। तदनुसार रिकॉर्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। नक्शा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के तहत स्टाम्प ड्यूटी वसूल हो। खर्चा फरीकेन अलना–अपना वहन करेगें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख :–27.02.2026 को जारी की गई।

27/02/2026

मोहर न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1	00	स्टाम्प वकालतनामा		00
स्टाम्प वकालत नामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चागवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्म नामा		
बाबत इजराय हूक्म नामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	2	00	**मीजान**		00

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)